STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SURESH PACHOURI): Sir, With your permission Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 26th of November, 2007 will consist of:—

1. Consideration and passing of the Indian Boilers (Amendment) Bill, 1994.

2. Discussion on the Statutory Resolution seeking approval of the Proclamation issued by the President on the 20th November, 2007 under article 356 of the Constitution in relation to the State of Karnataka.

3. Consideration and passing of the Aircraft (Amendment) Bill, 2007 as passed by Lok Sabha.

4. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Lok Sabha:—

(a) The Payment of Bonus (Amendment) Bill, 2007; and

(b) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Bill, 2007.

5. Consideration and passing of the following Bills:—

The Labour laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining and Miscellaneous Provisions, 2005;

The Sashstra Seema Bal Bill, 2006

The Armed Forces Tribunal Bill, 2005

The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order (Amendment) Bill, 2007.

6. Consideration and return of the following Appropriation Bills relating to the Supplementary Demands for Grants (General) for 2007-08 and Demands for Excess Grants (General) for 2005-06, after they are passed by Lok Sabha:—

(a) The Appropriation (No. 4) Bill, 2007; and

(b) The Appropriation (No. 5) Bill, 2007

7. Consideration and passing of the All India Institute of Medical Sciences and the Post Graduate Institute of Medical Education and Research (Amendment) Bill, 2007, after it is passed by Lok Sabha.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendations contained in eighteenth report of Department-Related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH): Sir, I lay on the Table a statement

regarding status of implementation of recommendations contained in the Eighteenth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution.

SHORT DURATION DISCUSSION

Reply on proposal to set up SEZ in Nandigram, West Bengal and consequent large scale violence

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल): श्रीमन्, यह बहुत अच्छा हुआ कि कल इस सदन में लंबे अरसे तक एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई और यह चर्चा बड़ी अच्छी हुई। बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने जो यहां अपने सुझाव रखे, वे बहुत उपयुक्त हैं। उन सारे सुझावों पर अमल करना चाहिए, अमल हो रहा है और जिन सुझावों पर अमल नहीं हो रहा है, उन पर अमल करने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसके लिए जो गतिरोध पैदा हुआ था, वह दूर हुआ और उसे दूर करने में सभी सदस्यों ने एक दूसरे से बातचीत करके उसका एक सोल्युशन निकाला, यह बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हमें उनको बधाई देनी चाहिए।

श्रीमन्, जो पहली बात यहां पर आई, वह यह कि नंदीग्राम में जो हुआ, वह क्यों हुआ? एक सम्माननीय सदस्य ने यहां पर खड़े होकर कहा कि जो जमींदार की जमीन थी, वह बांटी गई और जो जमीन जोतता था, उनको दे दी गई, मगर जब वह जमीन लेने का प्रयास दूसरे काम के लिए होता है, तो जिसको वह जमीन मिली होती है, जो छोटा कास्तकार होता है, वह नाराज होता है। जमीन से देहात के लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं और हम सब जानते हैं कि एक एकड़ तो छोड़ो, अगर दो-तीन फीट जमीन भी एक की दूसरे के पास जाती है, तो उसके लिए लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, महाभारत में तो एक इंच जमीन के लिए कह दिया था कि नहीं देंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिवराज वी॰ पाटिल: जी। तो इस प्रकार से एक-एक फीट जमीन के लिए वे मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जमीन के सिवाय उनके पास जीने का कोई दूसरा आसरा नहीं होता और इसीलिए अगर उनसे जमीन निकल जाए, तो जिएंगे कैसे, यह सवाल उनके सामने पैदा हो जाता है। अब इन दिनों में यह देखा गया है कि हमारी संख्या बहुत बढ़ रही है और जमीन बंट रही है। जमीन पर का जो बोझा है, वह बढ़ रहा है, उसको किस प्रकार से कम करना चाहिए, इसका विचार हम सब लोगों को, जो यहां पर बैठे हुए हैं, करना बहुत जरूरी है। अगर इसका विचार नहीं होगा तो जमीन का बोझा बढ़ेगा और ये झगड़े भी बढ़ते रहेंगे और एक हालत ऐसी आ जाएगी कि जमीन पर जो लोग मुनस्सर हैं, वह जमीन उनकी मदद करने के लिए भी काफी नहीं होगी। तो क्या रास्ता निकाला जा सकता है? रास्ता निकालने की कोशिश सरकार की ओर से है कि हम उद्योग बढ़ाएं, इंडस्ट्री बढ़ाएं। उद्योग अगर बढ़ाने हैं, इंडस्ट्री अगर लगानी है तो वह तो जमीन पर लगानी पड़ेगी और उसके लिए किसी न किसी की जमीन भी लेनी ही पड़ेगी तो अगर किसी की जमीन ली जा रही है तो वह आदमी जो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार जमीन को करता है, उसका क्या होगा, यह सवाल पैदा होता है। इसीलिए वहां पर जब यह कहा गया कि कुछ जमीन केमिकल हब के लिए सरकार की ओर से ली जा सकती है तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उस आन्दोलन में सिर्फ जमींदार ही थे या जिसकी जमीन थी, वे ही थे, ऐसा नहीं है। देहात में तो जिसकी जमीन होती है, वह तो जमीन पर जीता ही है, मगर दूसरे आदमियों को जो काम मिलता है, वह भी जमीन पर ही मिलता है, इसलिए जो मजदूर होता है, उसका भी जीना उस जमीन पर ही मुनस्सर होता है और इसलिए सब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं।

मैं अच्छी तरह से जानता हूं, यह आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात है जबकि हमारे यहां पर बड़े-बड़े तालाब बनाए गए और सब तालाबों का अगर आप इतिहास निकालकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक भी तालाब ऐसा नहीं बना है, जहां पर जमीन लेने की कोशिश की गई हो और वहां पर आंदोलन न हुआ हो। कोई भी तालाब ऐसा नहीं बना है जहां कि वहां के काश्तकारों ने कहा हो कि आप जमीन ले लो, वे उसे देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके सारे जीवन का आधार वह जमीन होती है। महाराष्ट्र के अंदर जायकवाड़ी में, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं और उस समय